

दौरें/अवकाश पर पधारे है।

अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार

दिनांक....७-१०-२२ को पेश हो

७-१०-२२ पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी अनुपस्थित।
अपार्थी सं. १ का नोटिस लासिल शुदा जाय।
अपार्थी सं. १ की और वकील श्री देवेन्दु सिंह
देल उपस्थित। सायं ५-०८ P.M. बज चुके की
बार-बार आवाज दिलवाई गई। बार-बार
आवाज दिलवाने के बावजूद पार्थी गण व वकील
पार्थी में से कोई उपस्थित नहीं। अतः पार्थी का
पार्थी-पर अदम हाजरी। अदम पैरवी में पारिज



क्रिया जाता है

पत्रावली फॅसल शुमार हो कर नम्बर
से कम हो


उपखण्ड अधिकारी
हयनाद (अजमेर)